न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 100/2022

1. करणीराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. राकेश पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. राजपाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. कर्मवीर पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सतवीर पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. रतन सिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. श्रीमती हरिया देवी पत्नी पन्नेसिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. अरविन्द पुत्र दयासिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. आशीष पुत्र दयासिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. श्रीमती चनणा देवी पत्नी दयासिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. मु. अमिता पुत्री दयासिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. हरिसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. बैंक ऑफ बड़ौदा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा लिमिटेड, शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दीवानी व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 22.08.2023

संक्षेप मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का हरिपुरा की सरहद में भूमि गत ख0न0 37 तादादी 12 बीघा 15 बिश्वा, ख0न0 78 तादादी 3 बीघा 15 बिश्वा, ख0न0 82 तादादी 15 बीघा 8 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 184 तादादी 0.30 है0, ख0न0 185 तादादी 0.72 है0, ख0न0 185/254 तादादी 0.08 है0, ख0न0 185/255 तादादी 0.12 है0, ख0न0 44 तादादी 3.23 है0, ख0न0 74/264 तादादी 0.02 है0, ख0न0 74/265 तादादी 0.04 है0, ख0न0 97 तादादी 0.69 है0, ख0न0 97/281 तादादी 0.32 है0, ख0न0 97/282 तादादी 0.06 है0, ख0न0 98 तादादी 0.52 है0, 98/277 तादादी 0.02 है0, ख0न0 98/278 तादादी 0.02 है0, ख0न0 98/279 तादादी 0.32 है0, ख0न0 98/280 तादादी 0.06 है0 कुल किता 19 कुल

रकबा 8.07 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की पैतृक खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि का खातेदार बींजा काबिज काश्त रहा। इस भूमि के राजस्व रिकार्ड मिसल हकियत सम्वत 1999 से स्पष्ट है कि बींजा के दो पुत्र लिछमण सिंह व सूरजा हूये। बींजा के देहान्त के बाद उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार बींजा के दोनो पुत्र लिछमण सिंह व सूरजा हुये। लिछमण सिंह के दो पुत्र पन्नेसिंह व हनुमान सिंह हुये। लिछमण सिंह का देहान्त हो जाने पर जमीन जैर बहस में लिछमण सिंह के 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार उसके दोनो पुत्र पन्ने सिंह व हनुमान सिंह हुये। पन्ने सिंह व हनुमान सिंह प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 अर्थात 1/4 हिस्सा रहा। पन्ने सिंह का देहांत होने पर उसके हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार उसके वारिस अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 काबिज काश्त हुये। इसी प्रकार हनुमान सिंह का देहान्त हो जाने पर उसके हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार उसके वारिस दयासिंह व अप्रार्थी संख्या 10 हुये। दयासिंह का भी देहान्त हो चुका है और उसके हिस्से की 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार उसके वारिस अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 9 हुये व काबिज हुये। इस प्रकार सुरजा का उक्त विवादित जमीन में 1/2 हिस्सा रहा जो उक्त सुरजा की मृत्यू के बाद सुरजा के एकमात्र वारिस कुरड़ाराम को प्राप्त हुआ। और जमीन जैर बहस के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा व काबिज रहा। कुरड़ाराम का भी देहान्त हो चुका है और कुरड़ाराम के देहान्त होने के पश्चात उसके 1/2 हिस्स भूमि के खातेदार काश्तकार उसके वारिस प्रार्थीगण काबिज काश्त हुये।

बींजा का देहान्त हो जाने के बाद बींजा की खातेदारी भूमि उसके दो पुत्र लिछमण व सुरजा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूलवश बींजा की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण उसके बड़े पुत्र लिछमण सिंह अकेले के नाम दर्ज हो गई। और इस प्रकार जमीन जैर बहस का गलत राजस्व रिकार्ड बन गया जो बदस्तुर चला आ रहा है। जबकि इस जमीन में उक्त लिछमण सिंह व उसके भाई सुरजा का बराबर–बराबर हिस्सा रहा व दोनो बराबर–बराबर काबिज काश्त रहे। लिछमण सिंह व सुरजा की मृत्यू के पश्चात उनके वारिसान पन्ने सिंह, हनुमान सिंह व कुरड़ाराम के बीच इस जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 उक्त पन्ने सिंह, हनुमान सिंह व कुरड़ाराम के वारिस है। इनके बीच भी अब से कुछ अर्से पूर्व तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। आपसी सहुलियत से इस जमीन पर काबिज काश्त रहे। आपसी सहुलियत से जमीन जैर बहस में से मूल खसरा नम्बर 73 व 74 जिनमें बाद में सड़क निकल जाने से बटा नम्बर भी डाले हुये है, पर प्रार्थीगण काबिज है व काश्त करते है। इस जमीन का विधिवत बंटवारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच कभी नहीं हुआ। प्रार्थीगण को जब गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा गया। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को विवादित जमीन में कोई हक हिस्सा होने से भी इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा डालने उसके खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने लगे। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के कारण अप्रार्थीगण इस जमीन को अन्य किसी के नाम अंतरित कर खुर्द बुर्द कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसलिये वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है और वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण स्ट्रोंग प्राईमा फेसी होने सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित ना करें वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 10 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित सम्पूर्ण जमीन का खातेदार काश्तकार बींजा रहा व काबिज रहा। यह कहना गलत है कि बींजा के देहान्त के बाद उक्त बींजा की खातेदारी की भूमि के खातेदार काश्तकार उक्त बींजा के दोनो पुत्र लिछमण सिंह व सुरजा हुये। यह कहना गलत है कि उक्त सुरजा का विवादित जमीन में 1/2 हिस्सा रहा जो उक्त सुरजा कीमृत्यू के बाद सुरजा के एकमात्र पुत्र कुरड़ाराम को प्राप्त हुआ तथा कुरड़ाराम जमीन जैर बहस के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा व काबिज रहा। यह कहनागलत है कि उक्त कुरड़ाराम का देहान्त हो जाने के बाद उक्त कुरड़ाराम के वारिसान आवेदकगण इस जमीन जैर बहस के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुये व काबिज हुये। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि में से मूल ख0न0 73 व 74 जिनके बाद में इन खेतों में से सड़क निकल जाने पर वर्तमान में बटा नम्बर हुये, को आवेदकगण काश्त करते है व काबिज है। यह कहना गलत है कि यह जमीन आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 की शामलाती की सह खातेदारी की भूमि है जिसमें आवेदकगण का 1/2 हिस्सा व अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा शामिल में है। आवेदकगण इसजमीन का विधिवत बंटवारा करवाने के अधिकारी ही नहीं है।

आवेदकगण के दादा सुरजा की मृत्यू सन् 1981 एवं पिता कुरड़ाराम की मृत्यू सन् 1998 में हुई। आवेदकगण ने अपने दादा व पिता की मृत्यू होने के बाद अन्दर मियाद 12 वर्ष दावा नहीं किया। इस प्रकार दावा मियाद बाहर होने से काबिले खारीज है। आवेदकगण के दादा व पिता ने अपने जीवनकाल में जमीन को क्लेम नहीं किया। इस प्रकार आवेदकगण की प्लीडिंग को सही माना जाने की सुरत में भी आवेदकगण की खातेदारी धारा 63(4) आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत खत्म हो चुकी है। आवेदकगण ने अपने दावा में जमीन की टिनेन्सी का स्त्रोत साबित नहीं किया है एवं न ही प्लीड किया है। इस प्रकार आवेदकगण के दावा में खातेदारी का संविदा (Source of Tenancy) प्लीड नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है। आराजी गत ख0न0 83 रकबा 18 बीघा 9 बिश्वा हाल ख0न0 71, 72/266, 72/267 व 72/294 कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि सरहद मौजा हरिपुरा स्थित है जो आवेदकगण के दादा सुरजा की खातेदारी में दर्ज है। सुरजा के बाद विरासत में कुरड़ाराम व उसकी माता श्रीमती माली के नाम तथा इनके बाद विरासत के आधार पर आवेदकगण के नाम दर्ज हुई। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड को आवेदकगण ने दावा मं जानबुझकर छिपाया है। अन्त में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगणमिसल हकीयत सम्वत 1999 में बींजा की खातेदारी में दर्ज थी। लेकीन सम्वत 2012 की जमाबंदी में कुछ खसरा नम्बरान मे सुरजा का नाम नहीं आया और राजस्व रिकार्ड अकेले लिछमण के नाम दर्ज हो गया ओर तदनुसार अकेले लिछमण के नाम चलता रहा। पूर्व में जमीन जैर बहस के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ इसलिये राजस्व रिकार्ड की नकल लेने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन अब अप्रार्थीगण इस पर ऋण लेकर या अन्य तरीके से खुर्द–बुर्द कर सकते है। प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है। इसलिये बींजा की भूमि के 1/2 के खातेदार घोषित करवाये जाने हेतु दावा कियागया है तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :–

1. आरएलडब्ल्यू 2005(1) पेज न0 102 माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या 6792/2004 निर्णय दिनांक 15.10.2004

2. आरआरडी 1995 पेज न0 120 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन संख्या 58 व 59/1991 निर्णय दिनांक 22.11.1994
3. आरआरडी 1998 पेज न0 368 चेयरमेन, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन न0 64/1996 निर्णय दिनांक 20.12.1997 पेज 370 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 32/1995 निर्णय दिनांक 10.03.1998
4. आरआरडी 1998 पेज 370 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 32/1995 निर्णय दिनांक 10.03.1998
5. आरआरटी 2012(1) पेज 520 राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन द0 6957 व 6958/2010 निर्णय दिनांक 25.05.2011

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 10 ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बींजा का देहान्त सम्वत 2012 से पहले हो चुका था इसका मतलब 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पहले ही बींजा फौत हो चुका था। प्रार्थीगण ने दावा में Source of Tenancy प्लीड नहीं की है कहीं भी नहीं बताया है कि बींजा को भूमि कैसे मिली। सुरजा के नाम से अन्य भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसकी खातेदारी सुरजा के बाद उसके पुत्र कुरड़ाराम व उसके बाद प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है इस तथ्य को छुपाया गया है। इस प्रकार काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय दोनो भाईयों के पास अलग–अलग भूमि थी दोनो भाई अलग–अलग भूमि के खातेदार थे। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती जहां कब्जा नहीं है वहां भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। खसरा गिरदावरी में कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ सड़क की भूमि लेने के लिये दावा किया गया है। इस प्रकार प्राईमाफेसी, अपूरणीय क्षति, तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण के हक में वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :–

1. आरआरटी 2002(1) पेज न0 589 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन टीए न0 82/1996 निर्णय दिनांक 01.11.2001
2. आरआरटी 2006(1) पेज न0 623 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन न0 241/2001 निर्णय दिनांक 13.02.2006
3. आरबीजे 2004 पेज 270 राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या 9/99 निर्णय दिनांक 01.04.2004
4. एआईआर 2016 पेज 89 उच्च न्यायालय जयपुर सिविल रिट पिटिशन न0 5495/20202 निर्णय दिनांक 11.03.2016

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से दोनो पक्षों के हक हकुक-पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा साथ ही केवल रिकार्ड की यथास्थिति अपूरणीय क्षति का कारक नही बनता है। जबकि रिकार्ड की यथास्थिति नहीं बनाये रखे जाने से भूमि के विक्रय, रहन या अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण संभावना है। जिससे बहुलवाद की संभावना है और प्रार्थी के खातेदारी हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में अन्य कोई जटिलता ना हो, इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा का है, पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थाई समाधान अथवा किसी एक पक्ष का स्वामित्व के प्रश्न पर विचारण

मूल वाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहीत में उचित प्रतीत होता है।

तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से पूर्ण सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में ओर जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम हरिपुरा के ख0न0 184, 185, 185/254, 185/255, 44, 74/264, 74/265, 97, 97/281, 97/282, 98, 98/277, 98/278, 98/279, 98/280, कुल किता 19 कुल रकबा 8.07 है0 के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर